किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को उम्रकैद

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

कोटा. इटावा थाना क्षेत्र में दो साल पहले एक किशोरी को 23 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपित को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने शनिवार को उम्रकैद की सजा व 28 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। झाडोल निवासी एक व्यक्ति ने 26 जुलाई 2014 को इटावा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उम्मेदपुरा निवासी मुकेश कुमार बैरवा 24 जुलाई को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसला कर ले गया। डकनिया

23 दिन बंधक बना किया था दुष्कर्म

रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित किराए के मकान में उसे 23 दिन तक बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब किया। अदालत में हुए 164 के बयान में किशोरी ने बंधक बनाकर दुष्कर्म करना स्वीकार किया। विशिष्ट न्यायाधीश केदार लाल गुप्ता ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित मुकेश बैरवा को दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा व 28 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बैरवा को सजा के बाद जेल ले जाते पुलिसकर्मी।

साढ़े तीन माह में 14 को सजा

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो अधिनियम में गत साढ़े तीन माह में 29 फैसले किए गए। इनमें से 14 को 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा से दंडित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष अप्रेल से जून तक की तिमाही में 21 फैसले हुए। इनमें से 8 में सजा सुनाई गई। जबकि 10 में पीड़िताओं के मुकरने से और 3 में गुणावगुण के आधार पर आरोपितों को बरी किया गया। वहीं जुलाई में अब तक 8 फैसले किए। इनमें से 6 में सजा और 2 में पीड़िताओं के मुकरने से आरोपितों को दोषमुक्त किया गया।